उत्तर प्रदेश शासन

पर्यटन अनुभाग

संख्या-70/2021/454/41-2022/07(बजट)/2021

लखनऊ दिनांक 04 मार्च, 2022

संख्या-712/2021/4440/41-2021/07(बजट)/2021 दिनांक 13 दिसम्बर, 2021

का शुद्धि पत्र

महानिदेशक पर्यटन के पत्रांक-5104/मु0मं0पं0सं0यो0(1)/2020 दिनांक 29-11-21 द्वारा प्रेषित त्रुटिपूर्ण प्रस्ताव के क्रम में मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अन्तर्गत जनपद आगरा के वि0स0क्षे0 आगरा उत्तर के पर्यटन स्थल के विकास हेतु द्वितीय किश्त रू0-17.51 लाख की वित्तीय स्वीकृति हेतु निर्गत किये गये शासनादेश संख्या-712/2021/4440/41-2021/07(बजट)/2021 दिनांक 13 दिसम्बर, 2021 के प्रस्तर-2 में कार्यदायी संस्था -उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 के स्थान पर त्रुटिवश यू0पी0सिडको अंकित हो गया है तथा तत्क्रम में पृष्ठांकन के क्रमांक-7 व 8 में भी त्रुटिवश कार्यदायी संस्था को यू0पी0सिडको को शासनादेश की प्रति प्रेषित कर दी गई है। उक्त त्रुटि का निराकरण करने हेतु महानिदेशक पर्यटन के पत्रांक-6295/मु0प0सं0यो0(01)/2021 दिनांक 5 जनवरी 2022 द्वारा अनुरोध किया गया है।

2. अत: उक्त त्रुटि का निराकरण करते हुये शासनादेश संख्या-712/2021/4440/41-2021/07(बजट)/2021 दिनांक 13 दिसम्बर, 2021 के प्रस्तर-2 में अंकित कार्यदायी संस्था - यू0पी0सिडको के स्थान पर एतद्द्वारा **उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0** अंकित करते हुये तत्क्रम में पृष्ठांकन के **क्रम सं0-7 व 8 पर भी** यू0पी0सिडको के स्थान पर **उ0 प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0** अंकित किया जाता है।

3- तद्नुसार उक्त शासनादेश संख्या-712/2021/4440/41-2021/07(बजट)/2021 दिनांक 13 दिसम्बर, 2021 उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है। शासनादेश में अंकित अन्य शर्ते एवं उपबन्ध यथावत रहेंगे।

4- संदर्भगत शासनादेश दिनांक 13-12-21 द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि रू0-17.51 लाख के **आहरण/वितरण के पूर्व** उप निदेशक पर्यटन निदेशालय उ0प्र0/संबंधित कोषाधिकारी एवं वित्त नियंत्रक पर्यटन निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या-712/2021/4440/41-2021/07(बजट) /2021 दिनांक 13 दिसम्बर, 2021 द्वारा अवमुक्त की गई द्वितीय किश्त की धनराशि रू0-17.51 लाख का **दोहरा आहरण/वितरण न होने पाये।**

(शिव पाल सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- महानिदेशक पर्यटन उ0प्र0 , लखनऊ ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ
5- जिलाधिकारी आगरा।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 लखनऊ।
8- परियोजना प्रबंधक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 यूनिट-4 आगरा।
9- परियोजना प्रबंधक, यू0पी0सिडको आगरा ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 ,उ0प्र0 शासन।
11- उप निदेशक पर्यटन आगरा मण्डल आगरा।
11- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग ।
12- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।